UPET010053052025

न्यायालय :: जनपद न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः दिनेश चन्द, 'एच0जे0एस0'

जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी06538

लघुवाद निगरानी सं0—62/2025

श्री ध्यानपाल पुत्र श्री गीतम सिंह निवासी मौहल्ला अगरैयान (चौक) जलेसर, परगना व तहसील जलेसर जिला एटा।

————निगरानीकर्ता/प्रतिवादी

बनाम

श्रीमती संगीता गुप्ता पत्नी श्री राकेश गुप्ता निवासी मौहल्ला पंसारियान कस्बा जलेसर परगना व तहसील जलेसर जिला एटा।

——————विपक्षी

निर्णय

1. यह लघुवाद निगरानी धारा 25 प्रान्तीय लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत विद्वान लघुवाद न्यायाधीश/सिविल जज (जू0डि0)/जलेसर, एटा द्वारा प्रकीर्ण वाद सं0 31/2023, ध्यानपाल बनाम संगीता गुप्ता में पारित आदेश दिनॉकित 09.07.2024 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा प्रतिवादी ध्यानपाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4सी1 खारिज कर दिया गया था।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी/रिवीजनकर्ता द्वारा अवर न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रतिस्थापन के साथ प्रार्थना पत्र 4सी1 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके विरूद्व विपक्षी द्वारा संस्थित लघुवाद सं० 02 सन् 2018 श्रीमती संगीता गुप्ता बनाम ध्यानपाल में एकपक्षीय आज्ञप्ति दिनांक 17—01—2023 की जानकारी उसको दिनांक 10—07—2023 को श्री राम अवतार से, जिनकी पत्नी श्रीमती सीमा को प्रतिवादी ने विवादग्रस्त मकान प्रतिवादी की पत्नी श्रीमती अनीता ने 21—09—2015 को इस शर्त के साथ विक्रित किया था, कि जिसमे प्राप्त प्रतिफल मु० 3,50,000/— रूपया प्रतिवादी की पत्नी जब वापस करेगी तो राम अवतार उपरोक्त अपनी पत्नी के जरिये उक्त विक्रयपत्र का विखण्डन पत्र तहरीर करेंगे। इस शर्त के आधीन प्रतिवादी ने राम अवतार उपरोक्त को धीरे—धीरे करके मु० 3,00,000/— रूपया के करीब अदा कर दिया, किन्तु कोविड—19 महामारी आ जाने से उसका जीवन व कारोबार अस्त—व्यस्त हो जाने के कारण अवशेष मु० 50,000/— रूपया प्रतिवादी नही दे सका। इसी का अनुचित लाभ उठाकर

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.03.24 16:22:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

श्रीमती सीमा यादव पत्नी रामअवतार सिंह उपरोक्त ने रूपया लेने के पश्चात भी एक बैनामा दिनांक 09—09—2016 को श्रीमती संगीता गुप्ता के हक में तहरीर कर दिया। इस पर दिनांक 10—07—2023 को जब प्रतिवादी ने राम अवतार उपरोक्त से तीन लाख रुपया वापस करने की मांग रखी तथा राम अवतार ने प्रतिवादी के साथ झगड़ा—फसाद किया और बातो ही बातो मे यह बताया कि जिसको उसने बैनामा किया है, उसने तुम्हारे विरूद्ध लघुवाद प्रस्तुत करके न्यायालय के माध्यम से मकान खाली कराने का आदेश करा लिया है और उसी आदेश के आधार पर निष्पादन वाद मे तारीख 17—07—2023 नियत है और उक्त नियत दिनांक को तुम मकान से निकाल दिये जाओगे, तब प्रतिवादी प्रथम बार एटा आया और उक्त लधुवाद व उससे सन्दर्भित निष्पादन वाद की खोजबीन अपने अधिवक्ता श्री संजय वार्ष्णेय को नियुक्त करके करायी, तब उक्त लधुवाद संख्या 2/2018 दिनांक 17—01—2023 को एकपक्षीय रूप मे आज्ञप्ति किये जाने व उससे संदर्भित निष्पादन वाद 04 तन् 2023 का न्यायालय में विचाराधीन होने की जानकारी मिली। प्रतिवादी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह उपरोक्त लघुवाद 02/2018 में पारित आज्ञप्ति के सापेक्ष पारित डिक्रीटल धनराशि नगद रूप में न्यायालय में जमा कर पाये। इस कारण प्रतिवादी उपरोक्त एक पक्षीय निर्णय व आज्ञप्ति में वर्णित डिक्रीटल धनराशि के सापेक्ष सिक्योरिटी देने को रजामन्द है, इस कारण उपरोक्त सिक्योरिटी के रूप में श्री केशव सिंह पुत्र श्रीचन्द्र निवासी मौहल्ला छत्ता कस्बा जलेसर जिला एटा अपनी पंजीकृत कार यू. पी. 82/ए.के./4795 का पंजीकृत स्वामी है जिसका रजिस्ट्रेशन सार्टीफिकेट प्रतिवादी सिक्योरिटी के रूप में प्रस्तुत मूल अभिलेख प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना की गयी है कि धारा—17(2) प्रान्तीय लधुवाद अधिनियम के तहत उक्त सिक्योरिटी को धारा 145 सी.पी.सी. के आधीन अधिग्रहित किये जाने की कृपा की जावे।

3. दौरन वाद वादी की ओर से आपत्ति कागज सं0 14सी2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थना पत्र खिलाफ कानून व खिलाफ वाक्सात है। आवेदक लघुवाद में पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व आज्ञप्ति धनराशि के सम्बन्ध में डिक्री की धनराशि न्यायालय में जमा करनी चाहिये और डिक्री की संतुष्टि हेतु अपनी अण्डर टेकिंग देनी चाहिये। निर्णीत ऋणि किसी वजह से डिक्रीटल धनराशि नहीं जमा कर सकता तो उसे डिक्रीटल धनराशि की अदायगी हेतु सिक्योरिटी न्यायालय की संतुष्टि के लिये जमा करनी चाहिये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ आवेदक ने कोई सिक्योरिटी प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक मुकदमा को लम्बा चलाने की दृष्टि से गलत प्रकार से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर समय टाल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र 4सी1 विधिक रूप से पोषणीय नहीं है और निरस्त होने योग्य है।

4. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के उपरांत प्रार्थना—पत्र 4सी1 आक्षेपित आदेश दिनांकित 09.07.

2024 द्वारा निरस्त किया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर यह लघुवाद निगरानी निगरानीकर्ता/प्रतिवादी द्वारा योजित की गयी है।

5. निगरानीकर्ता द्वारा अपनी लघुवाद निगरानी में मुख्य रूप से यह आधार लिये गये हैं कि अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश 09–07–2024 जो कि प्रकीर्ण वाद सं० 31 सन् 2023 में पारित किया गया है, वह खिलाफ कानून खिलाफ वाक्याती पर आधारित है, जो किसी भी प्रकार से स्थिर रहने योग्य नही है। अवर न्यायालय ने धारा–17 प्रान्तीय लघुवाद अधिनियम को समझने मे विधिक त्रुटि कारित की है। अवर न्यायालय को जो इस सन्दर्भ मे क्षेत्राधिकार निहित था, उसका इस्तेमाल न करके व जो क्षेत्राधिकार निहित नही था उसका बेजा तौर से इस्तेमाल करके आलोच्य आदेश पारित किया है। इस प्रकार आलोच्य आदेश स्वंय में विला क्षेत्राधिकार है। शहादत मौजूदा मिसिल से यह अमर बखूबी साबित है कि आवेदक ध्यान पाल द्वारा उक्त प्रकीर्ण वाद 31/2023 में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत लघुवाद सं०– 02 सन् 2018 श्रीमती संगीता गुप्ता बनाम ध्यान पाल में पारित एकपक्षीय निर्णय 17–01–2023 को अपास्त कराने हेतु 17–07–2023 को न्यायालय मे प्रस्तुत किया और प्रान्तीय लघुवाद अधिनियम की धारा 18 के आधीन आवेदक ध्यान पाल द्वारा एक प्रार्थनापत्र 4ग के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार धारा–170(2) प्रान्तीय लघुवाद अधिनियम के आधीन श्यौरिटी के रूप में संलग्नक अभिलेख प्रस्तुत कर धारा–145 व्य०प्र०सं० के आधीन अधिग्रहित किये जाने के साथ याचना के साथ प्रस्तुत की है, किन्तु अवर न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 4ग1 अन्तर्गत धारा–17 प्रान्तीय लघुवाद अधिनियम सिर्फ अण्डर टेकिंग न देने के आधार पर जो निरस्त किया है वह पूर्ण तौर पर गलत है। अवर न्यायालय ने धारा–17 प्रान्तीय लघुवाद अधिनियम को पढ़ने व समझने से भाव त्रुटि कारित की है और जो अभिमत अवर न्यायालय ने 4सी खारिज करने निकाला है वह स्वंय धारा–17 प्रांतीय लधुवाद अधिनियम मे प्राविधानित सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अवर न्यायालय का यह अभिमत कि सिक्योरिटी 50/– रूपया के जनरल स्टाम्प पर जमानत की तरफ से निष्पादित कर जमा कराया जाता है और उसकी सम्पत्ति का विवरण भी उस बन्ध पत्र पर अंकित किया जाता है। यह अभिमत भी धारा–17 प्रान्तीय लघुवाद अधिनियम के प्राविधान के विरूद्ध है। जबकि धारा–17 प्रान्तीय लधुवाद अधिनियम के अन्तर्गत एकपक्षीय आज्ञप्ति को निरस्त कराने के लिये तजवीजसानी के साथ या तो डिक्रीटल धनराशि नकद न्यायालय में जमा की जा सकती है या उसके बदले उसके सापेक्ष कोई सिक्योरिटी दी जा सकती है। इसी आधार पर यही प्रार्थनापत्र आवेदक द्वारा सिक्योरिटी के रूप में प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन बतौर जमानत ग्रहण किया जाना पर्याप्त था, फिर भी अवर न्यायालय ने उसे निरस्त कर वैधानिक त्रुटि कारित की है। अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश पारित करने में अहम मैटेरियल अवैधानिकता की है। आलोच्य आदेश 09–07–2024 किसी भी पकार से विधि सम्मत नही है। अतः प्रार्थना की गयी है

कि लघुवाद पुनरीक्षण स्वीकार किया जाकर आलोच्य आदेश दिनांकित 09.07.2024 अपास्त किया जाये और प्रार्थना पत्र 4सी2 स्वीकार किये जाने की कृपा की जाये।

6. निगरानीकर्ता/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क देते हुए कहा गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 09.07.2024 विधि एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के पूर्णतः विपरीत है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रांतीय लघुवाद अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों का अवर न्यायालय ने अत्यधिक संकीर्ण और गलत निर्वचन किया है। निगरानीकर्ता की आर्थिक स्थिति डिक्रीटल धनराशि को एकमुश्त नकद जमा करने की नहीं थी, जिस कारण उसने पूर्ण सद्भावना के साथ श्री केशव सिंह की पंजीकृत कार (यू०पी० 82 ए.के. 4795) का मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र न्यायालय के समक्ष सिक्योरिटी के रूप में प्रस्तुत किया था। धारा 17 के अंतर्गत नकद धनराशि के स्थान पर पर्याप्त प्रतिभूति देने का प्रावधान है, जिसका अनुपालन निगरानीकर्ता द्वारा किया गया है। अतः लघुवाद निगरानी स्वीकार कर अवर न्यायालय का त्रुटिपूर्ण आदेश अपास्त किया जाए।

7. इसके विपरीत विपक्षी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र 4सी1 पूर्णतः विधि विरुद्ध था और केवल मामले को लंबित रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रांतीय लघुवाद अधिनियम की धारा 17 के परंतुक के अनुसार, एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय या उससे पूर्व, डिक्रीटल धनराशि नकद जमा करना या न्यायालय के पूर्व निर्देशानुसार पर्याप्त विधिक प्रतिभूति प्रस्तुत करना आवश्यक है। निगरानीकर्ता ने विधि सम्मत तरीके से कोई सिक्योरिटी बांड निष्पादित नहीं किया। अवर न्यायालय ने विपक्षी की आपत्तियों (कागज सं० 14सी2) पर उचित विचार करते हुए सही आदेश पारित किया है। इस आदेश में कोई अवैधानिकता या क्षेत्राधिकार की त्रुटि नहीं है, अतः निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाए।

8. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक सुना तथा अवर न्यायालय की पत्रावली एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 09.07.2024 का सूक्ष्मता से परिशीलन किया।

9. ***प्रांतीय लघुवाद अधिनियम की धारा 17*** *के प्रावधानों के अंतर्गत यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कराने के लिए डिक्रीटल धनराशि का नकद जमा किया जाना या न्यायालय की पूर्व अनुमति से डिक्री के निष्पादन हेतु पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत किया जाना एक आज्ञापक आवश्यकता है।*

10. प्रस्तुत मामले में, निगरानीकर्ता/प्रतिवादी द्वारा डिक्रीटल धनराशि के सापेक्ष नकद धनराशि जमा न करके जमानतदार श्री केशव सिंह, की कार का पंजीकरण प्रमाणपत्र सिक्योरिटी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। जमानतदार को

न्यायालय के समक्ष एक विधिवत जमानतनामा निष्पादित करना आवश्यक होता है। यह न्यायालय के नियमों के तहत निर्धारित मूल्य 50/— रुपये के जनरल स्टाम्प पर निष्पादित होना चाहिए और उसमें जमानत के रूप में प्रस्तुत संपत्ति/वाहन का पूर्ण विवरण अंकित होना चाहिए। इसके साथ ही, डिक्री की संतुष्टि हेतु स्पष्ट अंडरटेकिंग होनी चाहिए। मात्र किसी वाहन की रजिस्टेशन सर्टीफिकेट की फोटोप्रति पत्रावली पर दाखिल कर देना, विधिक रूप से प्रतिभूति मान्य नहीं होती है, क्योंकि विधिवत बंधपत्र के अभाव में जमानतदार पर कोई भी विधिक दायित्व अधिरोपित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी दाखिल करने से पूर्व न्यायालय की अनुमति इस सम्बन्ध में प्राप्त करनी चाहिये थी। इस सम्बन्ध में विद्वान अवर न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया है कि प्रतिवादी द्वारा जमानतदार की ओर से कोई विधिवत सिक्योरिटी बांड और अंडरटेकिंग प्रस्तुत नहीं की गई और न ही न्यायालय से पूर्व अनुमति ही प्राप्त की गयी। ऐसी स्थिति में, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 4सी1 को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि या क्षेत्राधिकार संबंधी अनियमितता कारित नहीं की गई है। अवर न्यायालय का निर्णय पूर्णतः विधि सम्मत, तथ्यपरक एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों में कोई बल नहीं है और यह निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता की लघुवाद निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान लघुवाद न्यायाधीश/सिविल जज (जू0डि0)/जलेसर, एटा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.07.2024 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति विद्वान अवर न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

<u>दिनाँकः 24.03.2026</u> **(दिनेश चन्द)**

सत्र न्यायाधीश, एटा

जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी0 6538

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित किया जाकर उद्घोषित किया गया।

<u>दिनाँकः 24.03.2026</u> **(दिनेश चन्द)**

सत्र न्यायाधीश, एटा

जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी0 6538